कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर
//विविध कार्यालयीन आदेश//

क्रमांक– क्यू /विविध/2023 नरसिंहपुर, दिनांक–17 .05.2024

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 10(3) के अनुसार इस न्यायिक जिला स्थापना पर कार्यरत सत्र न्यायाधीश के अवकाश काल में सत्र न्यायालय में लंबित एवं प्रस्तुत होने वाले **अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं.प्र.सं. एवं नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा– 439 दं.प्र.सं.** की सुनवाई एवं विधिवत निराकरण हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिष्ठित करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि निम्नानुसार सारणी के स्तम्भ कमांक–2 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारीगण (प्रत्येक के द्वारा) क्र म से 01–01 जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई उपरांत विधिवत निराकरण करेंगे, एवं प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वमेव उनकी न्यायालय में अंतरित माने जावेगें :–

क0	न्यायिक अधिकारी का नाम व पद	रिमार्क
1	2	3
1	श्री राजीव के.पाल, विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी), नरसिंहपुर	
2	श्री अखिलेश कुमार धाकड़, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर	
3	श्री नवीन कुमार शर्मा, पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर	
4	श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर	
5	श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह, तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर	

यह भी आदेशित किया जाता है कि एक ही अपराध से सम्बंधित सह–अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई उसी न्यायालय में की जायेगी जहाँ पूर्व में उस अपराध के अन्य अभियुक्तों के जमानत आवेदन पत्रों में सुनवाई की गई है।

यदि एक ही अपराध के दो या अधिक आरोपियों के जमानत आवेदन अलग–अलग न्यायालयों द्वारा निराकृत किये गये है तो नये आवेदक/आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई अंतिम जमानत आवेदन निराकृत करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा ही की जायेगी।

लंबित सत्र प्रकरण से संबंधित प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई उसी न्यायालय द्वारा की जायेगी, जिस न्यायालय में सत्र प्रकरण लंबित होगा।

विशेष न्यायालय जैसे– एस.सी./एस.टी. एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट, एन.आई.एक्ट एवं विद्युत अधिनियम से संबंधित आवेदन पत्रों की सुनवाई उन मामलों की सुनवाई के लिये गठित विशेष न्यायालयों द्वारा की जायेगी। विशेष न्यायालय के अवकाश पर रहने पर जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई की कार्यवाही कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा विधिवत की जायेगी।

यह भी आदेशित किया जाता है कि सारणी में अंकित न्यायिक अधिकारीगण में से किसी के भी अवकाश पर होने की दशा में उन्हें इस रोस्टर के द्वारा आबंटित जमानत आवेदन पत्र यथा कमानुसार अंकित न्यायिक अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई की जावेगी। प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्रों की संख्या 05 से अधिक होने की स्थिति में पुनः सारणी के यथा कमानुसार संबंधित न्यायाधीश द्वारा एक–एक जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई की जायेगी।

17-05-2024

(कमल जोशी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नरसिंहपुर.

पृष्ठांकन क्र.-1187/विविध/2023 नरसिंहपुर, दिनांक-17.05.2024

प्रतिलिपि :-

1. विशेष न्यायाधीश (एट्रो.) नरसिंहपुर
2. प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/पंचम, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर
3. लोक अभियोजक/ सहायक लोक अभियोजक, नरसिंहपुर
4. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, नरसिंहपुर
5. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, नरसिंहपुर
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
6. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नरसिंहपुर/सिस्टम असिस्टेंट, नरसिंहपुर की ओर पत्र की प्रति **ई-मेल के माध्यम से** समस्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर की ओर भेजे जाने हेतु प्रेषित।

हेतु - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नरसिंहपुर